न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/331
मिसलनम्बर– 65 / 2025

1.कृपाशंकर पुत्र भैरूलाल जाति धाकड़ आयु 30 वर्ष
2.दुर्गाशंकर पुत्र भैरूलाल जाति धाकड़ आयु 35 वर्ष निवासीगण ग्राम राजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज०

प्रार्थीगण.....

बनाम

1.कन्हैयालाल पुत्र किशना,
2.गायत्री पत्नि द्वारका लाल
3.मन्जू बाई पत्नि कन्हैयालाल
4.मोहनलाल पुत्र किशना जाति धाकड़ निवासीगण ग्राम राजपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज०
5.द्रोपदी बाई पत्नि स्व० श्री भैरूलाल
6.नेमीचन्द पुत्र भैरूलाल
7.महावीर पुत्र भैरूलाल
8.रतन पुत्र भैरूलाल
9.लालचन्द पुत्र भैरूलाल
10.विमलेश पुत्री भैरूलाल जाति धाकड़ निवासीगण ग्राम गोदल्याहेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज०
11.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज०

–:निर्णयः–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक....23/03/2026

उपस्थितिः–
1.श्री अशोक कुमार मीणा अधिवक्ता प्रार्थीगण ।
2.श्री लक्ष्मण सिह अधिवक्ता अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 4।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी खाता संख्या नया 203 पुराना 168 के खसरा नं० 215/648 की रकबा 1.50 है० खसरा नं0 222 की रकबा 1.33 है० खसरा नं0 358 रकबा 2.15 हैं0 कुल किता 3 की रकबा 4.98 वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का गोदल्याहेडी भू–अभिलेख क्षेत्र ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज० में स्थित चली आ रही है।

उक्त ऊपर वर्णित प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी में से खसरा नं0 215/648 की रकबा 1. 50 है० आराजी पर काश्त करने हेतु एवं कृषि उपकरणों को लाने ले जाने हेतु कोई भी रास्ता उपलब्ध नही है और अप्रार्थीगण की भूमि के बाद आम रास्ता उपलब्ध है। इसलिये प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काशत की भूमि के खसरा न० 218/628 की रकबा 0.48 है० वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का गोदल्याहेडी भू–अभिलेख क्षेत्र ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज० में स्थित भूमि में से होकर प्रार्थीगण के खेत तक 15 फीट मार्ग उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है।

प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के खसरा नं0 218/628 की रकबा 0.48 है0 में से होकर अपनी भूमि पर पहुंचने हेतु रास्ते के लिये भूमि उपलब्ध करवायी जाने हेतु निवेदन कर चुके है। परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा रास्ता हेतु भूमि उपलब्ध नही करवायी गयी है। जबकि प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा नं0 215/648 की रकबा 1.50 है० पर पहुंचने व कृषि कार्य करने हेतु कृषि उपकरणों को लाने ले जाने हेतु रास्ते की सख्त आवश्यकता है और यदि प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया तो प्रार्थीगण अपनी भूमि पर काश्त करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पडेगा और प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग करने से वंचित हो जायेगें तथा प्रार्थीगण की भूमि पड़त रह जायेगी। क्योकिं प्रार्थीगण के पास अपनी भमि पर पहुंचने हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है इसलिये प्रार्थीगण को अप्रार्थी की भूमि खसरा नं० 218/628 की रकबा 0.48 है0 में से 15 फीट रास्ता उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है। ताकि प्रार्थीगण अपनी सयुंक्त खातेदारी की भूमि खसरा नं0 215/648 की रकबा 1.50 है० पर कृषि उपकरणों को पहुंचाकर अपनी भूमि का उपयोग उपभोग कर सके। कृषि काश्त कर अपने परिवार का भरण–पोषण कर सके। इसलिये रास्ता उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने से वंचित हो जायेगें और प्रार्थीगण की भूमि पडत रह जायेगी।

प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण से अपने खेत जोत पर पहुंचने हेतु गत सप्ताह रास्ता उपलब्ध करवाये जाने के लिये निवेदन किया गया किन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा रास्ता नही दिया गया जबकि प्रार्थीगण को अपनी जोत पर पहुंचने हेतु रास्ते की सख्त आवश्यकता है। क्योकि रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपनी भूमि पर कृषि उपकरणों को नहीं पहुंचा पायेगें और प्रार्थीगण अपनी भूमि का उपयोग उपभोग व कृषि कार्य करने से वंचित हो जायेगें इसलिये प्रार्थीगण को अपनी जोत पर पहुंचने हेतु रास्ते की आवश्यकता होने और माननीय न्यायालय को नवीन रास्ता दिये जाने का क्षेत्राधिकार होने से प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश करने हेतु बाध्य होना पड रहा है तदर्थ प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नं0 218/628 की रकबा 0.48 है० भूमि वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का गोदल्याहेडी भू–अभिलेख क्षेत्र ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज० में से होकर अपने खेत में पहुंचनें हेतु 15 फीट चौडै रास्ते का उपयोग करना चाहते है जिसकी प्रार्थीगण नियमानुसार राशि जमा करवाने के लिये तैयार तत्पर है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय की सहायता से अपनी भूमि खसरा नं0 215/648 की रकबा 1.50 है0 पर पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नं0 218/628 की रकबा 0.48 है0 में से होकर 15 फीट का रास्ता प्राप्त कर उक्त रास्ते को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी व राजस्व नक्शा शिट में अमल दरामद करावें।

प्रार्थीगण को जोत पर पहुंचने हेतु कोई भी वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने और अप्रार्थीगण से अपनी भूमि पर पहुंचने हेतु व कृषि उपकरणों को पहुंचाने हेतु गत सप्ताह रास्ते की मांग करने पर अप्रार्थीगण के द्वारा रास्ता दिये जाने से इंकार कर देने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर रूप से जारी है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित सयुंक्त खातेदारी की भूमि में से खसरा नं0 215/648 की रकबा 1.50 है० वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का गोदल्याहेडी भू–अभिलेख क्षेत्र ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज० पर पहुंचने व आने जाने हेतु एवं कृषि उपकरणों को लाने ले जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नं0 218/628 की रकबा 0.48 है0 वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का गोदल्याहेडी भू–अभिलेख क्षेत्र

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज० में से होकर प्रार्थीगण के खेत से मुख्य सडक तक 15 फीट चौडा रास्ता उपलब्ध करवाया जाकर उक्त रास्ते की भूमि को राजस्व नक्शे में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने के साथ ही अन्य न्यायोचित सहायता प्रार्थीगण को प्रदान की जावें।

अप्रार्थी क्रम–1, 2, 3 व 4 की ओर से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब निम्नानुसार पेश किया कि अप्रार्थीगण की खसरा नं0–218/628 की 0.48 हैक्टर भूमि में कोई रास्ता नही है और न ही प्रार्थीगण पूर्व मे उक्त भूमि मे होकर निकल रहे है एवं प्रार्थीगण को उक्त भूमि में रास्ता कायम करवाने को वैधानिक अधिकार नहीं है।

प्रार्थना पत्र मे अंकित किये गये तथ्य सर्वथा मनगढंत है जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। क्योकि प्रार्थीगण की खसरा नं0–215/648 की भूमि में कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए अन्यत्र स्थान पर अप्रार्थीगण की भूमि में रास्ता कायम किये जाने का प्रार्थीगण में कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण पूर्व में प्रचलित रास्ते में होकर अपनी उक्त भूमि पर आते–जाते रहे है लेकिन अब प्रार्थीगण (सार्ट कट) समीप रास्ता माप किये जाने के लिये अप्रार्थीगण की भूमि मे रास्ता कायम करवाना चाहते है। जिसका प्रार्थीगण को कोई अधिकार ही नही है। प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की गरज से पेश किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। क्योंकि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं0–215/648 की भूमि पर पूर्व में ही प्रचलित रास्ता बना हुआ है जिसका प्रार्थीगण उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है लेकिन प्रार्थीगण अब अप्रार्थीगण की 218/618 की भूमि में समीपवर्ती रास्ता कायम करवान चाहते है जिसका प्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है। क्योंकि प्रार्थीगण के प्रचलित रास्ता होते हुए अन्यत्र समीपवर्ती रास्ता कायम करवाये जाने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है।

अप्रार्थीगण नं0 5 लगायत 10 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुये अतः बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण नं0 5 लगायत 10 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण मे तहसीलदार लाडपुरा से भूमि का मौका मुआयना कर मौका रिपोर्ट चाही गयी जो निम्नानुसार है:– राजस्व रिकोर्ड अनुसार ग्राम राजपुरा मे वादीगण दुर्गाषंकर कृपाशंकर पुत्रान भैरूलाल जाति धाकड़ निवासी राजपुरा के खाते की भूमि खसरा नम्बर 215/648 रकबा 1.50 है0 पर मौके पर पहुँचकर जांच की गई। राजस्व रिकोर्ड अनुसार इस भूमि पर आने जाने का कोई रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

रिकोर्ड मे दर्ज नही है। मौके पर उक्त भूमि मे आने हेतु खसरा संख्या 214 किस्म गै0 मु0 रास्ते से सबसे समीस्थ उपयुक्त दूरी खसरा नं0 218/628 व खसरा संख्या 215 व 216 के बीच की मेड जो 72 मीटर है, से ही रास्ता किया जाना उपयुक्त होगा। खसरा संख्या 218/628 रकबा 0.48 है0 भूमि कन्हैयालाल मोहनलाल पुत्रान किशना गायत्री बाई पत्नी द्वारका लाल मंजूबाई पत्नी कन्हैयालाल द्रोपदीबाई पत्नी स्व भैरूलाल नेमीचंद महावीर लालचंद पुत्रान भैरूलाल विमलेश रतन पुत्री भैरूलाल जाति धाकड सा. देह के खाते दर्ज है। एवं खसरा संख्या 216 रकबा 1.55 है भूमि प्रियांशु नागर दत्तक पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ सा. देह के खाते दर्ज है। खसरा संख्या 215 व 218/628 के बीच की मेड 8 मीटर व खसरा संख्या 216 व 218/628 के बीच की मेड 64 मीटर है खसरा संख्या 215 रकबा 0.15 है0 किस्म बारानी II कोटा विकास प्राधिकरण के खाते दर्ज है।

हमने बहस अभिभाषक की बहस सुनी।

प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह बहस की गई कि प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर पहुॅच हेतु मार्ग उपलब्ध कराया जावे। अप्रार्थीगण नं0 1 लगायत 4 की ओर से बहस में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र तथा उभयपक्ष की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट में स्पष्टतया अंकित है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा सं० 215/648 में पहुॅचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नही है। उक्त परिस्थिति में समीप स्थित खसरा नम्बर से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है इस हेतु तहसील रिपोर्ट में खसरा नं0 218/628 व खसरा संख्या 215 व 216 के बीच की मेड जो 72 मीटर है, से ही रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया है।

हमने धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं संशोधित धारा 251–क से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। राजस्थान राजपत्र, सितम्बर 06, 2023 के अनुसार **1955 के राजस्थान अधिनियम सं0 3 की धारा 251–क का संशोधन–मूल अधिनियम की धारा 251–क की उपधारा (1) में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करने का करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो**

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये या प्रतिकर के संदाय की एवज में, ऐसे अभिधारी के नाम विनिमय में अधिमानतः समान कीमत की और उसकी भूमि से लगी हुई भूमि के समान क्षेत्र का अंतरण किये जाने पर," प्रतिस्थापित की जायेगी।

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेक बार यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 251 (क) का प्रयोग उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जबकि रास्ते का आत्यन्तिक अभाव हो। तहसीलदार रिपोर्ट से प्रमाणित है कि हस्तगत प्रकरण में रास्ते का आत्यान्तिक अभाव है। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस तहसील रिपोर्ट के आधार पर निर्णय का अनुरोध किया गया है। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नं0 215 एवं 216 के खातेदारान को पक्षकार नही किया गया है। जिस कारण से केवल मात्र खसरा नं0 218/628 में से ही रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उक्त परिस्थितियों में हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीगण की आराजी पुराना खाता नम्बर 168 नया खाता नम्बर 203 खसरा सं० 215/648 तक कृषि कार्य हेतु आने जाने हेतु खसरा नम्बर 218/628 में से खसरा नं0 215 एवं 216 की मेड के सहारे सहारे प्रार्थीगण की आराजी की पहुँच तक 12 फीट चौडा मार्ग प्रदान किया जाता है।

तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता है कि सर्वप्रथम रास्ते के क्षेत्र की गणना कर **1955 के राजस्थान अधिनियम सं0 3 की धारा 251–क का संशोधन** के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि से रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के **समान कीमत की भूमि का अंतरण अप्रार्थीगण की भूमि से लगी हुई भूमि में किया जावे।** तत्पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड नक्शा एवं नक्शा लट्ठा में अमल दरामद कर नियमानुसार गैर मुमकिन रास्ते की तरमीम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23/03/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी लाडपुरा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा